निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ 1934 (शo)

(सं0 पटना 229) पटना, मंगलवार, 29 मई 2012

सं0 वि॰उ॰ 04–08 / 2009—1079
गन्ना उद्योग विभाग

———

संकल्प

28 मई 2012

विषयः– **बिहार राज्य चीनी निगम लि० की इकाई लोहट एवं समस्तीपुर के कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान एवं उनके Exit Settlement में सन्निहित राशि के भुगतान के संबंध में।**

1. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 30.08.2011 की बैठक में बिहार राज्य चीनी निगम की शेष बची नौ इकाइयों–हथुआ (डिस्टीलरी सहित), बनमनखी, वारिसलीगंज, गोरौल, सिवान, न्यू सावन, समस्तीपुर, गुरारू एवं लोहट को निर्धारित लम्बी अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र के निवेशकों को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने या अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु हस्तांतरित करने के लिए, वित्तीय सलाहकार एस॰बी॰आई॰ कैप्स के माध्यम से चतुर्थ **निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत इन इकाइयों** के साथ उपलब्ध अतिरिक्त फार्म लैण्ड पर अन्य उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से बिड समर्पित करने का विकल्प एवं बिहटा इकाई के नावानगर के समीप जिनेश्वरगढ़ (बक्सर) स्थित फार्म लैण्ड पर गन्ना आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु निविदा समर्पित करने का विकल्प दिये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. सरकार के उपरोक्त निर्णय के आलोक में चतुर्थ निविदा प्रक्रिया सम्पन्न की गई जिसके फलाफल के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 27.03.2012 के बैठक में लिए गये निर्णय के अंतर्गत सरकार द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम की लोहट इकाई को चीनी मिल के रूप में पुनर्जीवित करने हेतु मेसर्स डालमिया भारत सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली एवं समस्तीपुर इकाई को जुट एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग (वाणिज्यिक कम्पलेक्स सहित) के रूप में पुनर्जीवित करने हेतु मेसर्स विनसम इन्टरनेशनल लि०, कोलकाता को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है जिस निमित्त दोनों कम्पनियों को LOI निर्गत किया जा चुका है। चीनी निगम की उपर्युक्त दोनों इकाइयों को unencumbered रूप में सफल निविदाकर्त्ताओं को हस्तांतरित किये जाने के लिए इन दोनों इकाइयों के कर्मचारियों को दिनांक 30.12.2008 की राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित Exit Settlement Benefit Plan की पूर्व निर्धारित नीति के अनुरूप भुगतान करने का भी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है तथा इस निमित्त स्थायी कर्मियों के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2012 एवं सीजनल कर्मियों के लिए कट ऑफ डेट मिल बंदी का अंतिम पेराई सत्र अर्थात् वर्ष 1996–97 निर्धारित किया गया है। दिनांक 30.12.2008 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत

Exit Settlement Plan के अनुरुप इन दोनों इकाइयों के लिए निर्धारित Cut Off Date के साथ इन दोनों इकाइयों के कर्मियों के देयताओं की गणना निम्नवत् की जायेगीः–

(क) सीजनल/मौसमी कर्मी:

(1) अन्तिम पेराई सत्र 1996–97 तक के लिए अप्रैल 1997 तक के बकाए वेतन एवं भविष्य निधि अंशदान का भुगतान।

(2) उपरोक्त आधार पर अप्रैल, 1997 तक के बोनस एवं उपादान का भुगतान।

(3) Exit Settlement Plan/Benefit Scheme के तहत सीजनल कर्मियों को निम्नलिखित भुगतानः–

(1)	सुपरवाईजरी ग्रेड–ए॰बी॰ एवं सी॰	मो॰ 1.20 लाख रू॰
(2)	हाइली स्कील्ड से क्लेरिकल–3 तक के कर्मियों के लिए	मो॰ 1.15 लाख रू॰
(3)	क्लेरिकल–4 से स्कील्ड–बी तक के कर्मियों के लिए	मो॰ 1.05 लाख रू॰
(4)	सेमी स्कील्ड कर्मियों के लिए	मो॰ 0.65 लाख रू॰
(5)	अनस्कील्ड कर्मियों के लिए	मो॰ 0.45 लाख रू॰

इन कर्मियों के वेतन की गणना 1996–97 के अन्तिम वेतन के आधार पर किया जायेगा। सभी कर्मियों की सेवा के सत्यापन एवं Scrutiny के बाद माननीय न्यायमूर्त्ति उदय सिन्हा कमिटी को समर्पित कर्मचारियों के स्टेट्स (सीजनल/स्थायी) को ही आधार माना जायेगा।

(ख) स्थायी कर्मी:

(1) भविष्य निधि अंशदानों के साथ मार्च, 1997 के कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2012 तक वेतन भुगतान।

(2) कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2012 तक उपार्जित छुट्टी के वेतन का भुगतान।

(3) कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2012 तक ग्रैच्युटी एक्ट के तहत अनुमान्य ग्रैच्युटी का भुगतान।

(4) कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2012 तक बोनस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यूनतम बोनस का भुगतान।

(5) कट ऑफ डेट तक सुगर वेज बोर्ड/अधिनियम के अन्तर्गत त्रिपक्षीय समझौता लागू करने के क्रम में यू॰ पी॰ पैटर्न को बिहार में भी लागू करने की परिपाटी रही है, अतः उसे निगम के स्थायी कर्मियों के लिए भी लागू किया जाना आवश्यक है।

(6) Exit Settlement Plan@Benefit Scheme के तहत स्थायी कर्मियों को निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त लाभ दिया जा सकता हैः–

(1) पाँच वर्षो तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को चार माह का वेतन।

(2) पाँच से दस वर्षो तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को छः माह का वेतन।

(3) दस वर्षो से अधिक वर्षो तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को नौ माह का वेतन।

इन कर्मियों के वेतन की गणना 31 मार्च, 2012 में देय वेतन के आधार पर किया जायेगा।

(ग) कैजुअल/दैनिक मजदूरः

कैजुअल/दैनिक मजदूरों को उनकी कार्य अवधि का बकाया मजदूरी का भुगतान।

(घ) अन्यान्यः

(1) कट ऑफ डेट तक जिन कर्मचारियों के जिम्में उनके द्वारा लिया गया अग्रिम बकाया है, उसकी एक मुश्त कटौती कर्मियों को भुगतान के समय कर ली जायेगी।

(2) इकाई स्तर से ही एक मुश्त भुगतान कर Exit Settlement Plan/Benefit Scheme का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मृत्युंजय कुमार,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 229-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in